International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9, Issue 1, January - 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories
Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

''जनजातियों में प्राचीन विवाह प्रथा''

डा0 शत्रुहन कुमार रौशन

मानव के अतिरिक्त अन्य प्राणी भी अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। लेकिन उसमें इसका केवल दैहिक आधार है और वे शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही यौन सम्बंध स्थापित करते हैं। मानव में यौन इच्छाओं की पूर्ति का आधार अंशतः दैहिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक है। यौन इच्छाओं की पूर्ति विवाह संस्था को जन्म देती है और विवाह परिवार एवं नातेदारी का आधार है। यौन इच्छाओं की तृप्ति स्वस्थ जीवन एवं सामान्य रूप से जीवित रहने के लिए आवश्यक है। इस यौन इच्छा की पूर्ति किस प्रकार की जाये वह समाज और सांस्कृति द्वारा निश्चित होती है।

भारतीय जनजातियों में विवाह को एक सामाजिक समझौता माना जाता है और जनजातियों में विवाह साथी चुनने के अनेक तरीकें प्रचलित हैं। जिनका हम उल्लेख करेगें।

1. परिविक्षा विवाह :– इस विवाह व्यवस्था के अनुसार लड़का और लड़की दोनों परस्पर एक–दूसरे के साथ अनेक दिनों तक रहते हैं जिससे वे एक–दूसरे के स्वभाव को समझ सकें और यौन अनुभवों को प्राप्त कर सकें। यदि इस अवधि में दोनों में पूर्ण साभंजस्य हो जाता है तो उनका विवाह करवा दिया जाता है। यदि उनका स्वभाव एक–दूसरे के उपयुक्त तथा अनुकूल नहीं होता है तो वे अलग हो जाते हैं और युवक कन्या के माता–पिता को कुछ हर्जाना प्रदान करता है। यह प्रथा दारगुल और कुकी समाज में देखने को मिलती है।

2. अपहरण विवाह :– इस प्रकार के विवाह में कन्या का अपहरण करके उसके साथ विवाह किया जाता है। उद्विकासीय क्रम में विवाह का सर्वप्रथम तरीका हरण–विवाह ही था। समाज के विकास एवं नवीन कानूनों के प्रभावों से इस प्रकार के विवाह समाप्त हो रहे हैं। परन्तु अब अभिनयात्मक हरण ही इसके अवशेष के रूप में देखने को मिलता है। बुशमेन लोगों में अभिनयात्मक हरण प्रचलित हैं प्रीतिभोज के अवसर पर वर एवं दोनों पक्षों के लोग एकत्रित होते हैं। भोज के दौरान वधू का हाथ पकड़ता है। ऐसा करने पर दोनों पक्षों के लोगों में युद्ध की सी स्थिति पैदा हो जाती है और वर को पीटा जाता है। युद्ध के दौरान यदि वधू का हाथ वर पकड़े रहता है तो उन दोनों का संस्कारपूर्वक विवाह कर दिया जाता है। लेकिन हाथ छोड़ने पर उन दोनों का विवाह नहीं हो सकता। अनेकों भील जातियाँ इस प्रथा को मानती है।

3. परीक्षा विवाह :– इस प्रकार के विवाह के एक पुरूष के साहस और शौर्य की परीक्षा ली जाती है जिसमें खरा उतरने पर उसका कन्या से विवाह करवा दिया जाता

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9, Issue 1, January - 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories
Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

है। कुछ जनजातियों में विवाहेच्छुक युवकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे विवाह से पूर्व अपना पराक्रम सिद्ध करें। यदि ऐसा करने में वे सफल हो जाते हैं तो उन्हें यह अधिकार होता है कि वे अपनी मनपसन्द लड़कियों से विवाह करें। गुजरात के भीलों में शौर्य की परीक्षा एक उत्सव में की जाती है। होली के अवसर पर उनमें 'गोल गाधेड़ों' नामक उत्सव मनाया जाता है। एक खम्भे या खजूर के पेड़ पर नारियल या गुड़ बाँध दिया जाता है। इस खम्बे या पेड़ के चारो ओर गाँव के कुँआरे लड़के–लड़कियाँ दो घेरों में नृत्य करते हैं। भीतर का घेरा लड़कियों द्वारा बना होता है व बाहर का घेरा लड़कों द्वारा। ढोल आदि बजाये जाते हैं और नृत्य किया जाता है। नृत्य के दौरान ही लड़के लड़कियों के घेरे को तोड़कर खम्बे पर से नारियल व गुड़ प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। लड़कियाँ ऐसा करने वाले युवक को झाड़ू आदि से पीटती है एवं काटती है, नोचती है और कपड़े खींचती है। इस पर भी यदि कोई व्यक्ति नारियल व गुड़ खाने में सफल हो जाता है तो वह उस घेरे की लड़कियों में से अपनी मनपसंद लड़की से विवाह करने का अधिकारी होता है।

4. क्रय विवाह :– इस प्रकार के विवाह में वधू प्राप्त करने के लिए वधू के माता पिता या उसके रिश्तेदारों को कुछ धन–राशि वधू–मूल्य के रूप में देनी होती है। साईबेरिया की किरगीज जनजाति में वधू मूल्य इतना अधिक है कि एकाधिक पत्नी रखना है और वे लोग साधारणत : तलाक भी नहीं देते क्योंकि उसके बाद विवाह करने का अर्थ है बड़ी मात्रा में धनराशि जुटाना, जो कि एक कठिन कार्य है।

5. सेवा विवाह :– वधू प्राप्ति का साधन सेवा विवाह है। दामाद अपने सास ससुर की सेवा कर और उसके बदले में उनकी पुत्री को पत्नी के रूप में प्राप्त करता है। कुछ जनजातियों में विवाह से पूर्व दामाद को सेवा करनी होती है; तो कुछ सेवक के रूप में कार्य करने चला जाता है और कुछ वर्षों तक सेवा करने के बाद ससुर की पुत्री से विवाह करके घर लौटता है। गोंड लोगों में ऐसे व्यक्ति को लामानाई और बैगा में लाम–सेना या गहारिया कहा जाता है।

6. विनिमय विवाह :– पत्नी प्राप्त करने का यह भी एक तरीका है। दो परिवारों में लड़कियों का विनिमय करना है। इनका उद्देश्य भी कन्याशुल्क की बुराई से बचना है। उत्तर प्रदेश की कुछ उच्च जातियाँ में भी यह प्रथा प्रचलित है, इसे अदला–बदला कहा जाता हैः क्योंकि इसमें जब एक पुरूष का लड़का दूसरे पुरूष की लड़की से विवाह करता है तो इसके बदले में दूसरे पुरूष का लड़का पहले पुरूष की लड़की से विवाह करता है। पंजाब में इसे बट्टा–सट्टा कहा जाता है।

7. सहमति या सहपलायन विवाह :– माता पिता द्वारा युवक–युवतियों को विवाह करने की स्वीकृति नहीं दी जाती है तो वे सहपलायन कर जाते है और सन्तान

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9, Issue 1, January - 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories
Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

होने पर वे स्वयं लौट आते है तो उन्हें सामाजिक स्वीकृति मिल जाती है। बिहार की हो व राजस्थान की भील जनजाति में यह प्रथा प्रचलित है। हो इसे राजी खुशी विवाह कहते है।

8. हठ–विवाह :– इस प्रकार के विवाह में लड़की जिस व्यक्ति से विवाह करना चाहती है उसके घर पर जबरन जाकर रहने लगती है। उसे वहाँ उस समय अपमान भी सहना होता है जब तक लड़के के माता पिता बहू के रूप में स्वीकार न करलें। कई बार लड़की को पीटा जाता है, घर से बाहर निकाला जाता है, भोजन नहीं दिया जाता है, इस पर भी यदि लड़की दृढ़ रहती है तो उसका विवाह करवा दिया जाता है। इस प्रकार का विवाह बिरहोर, हो, औराव, कमार व मुण्डा लोगों में पाया जाता है।

9. दत्तक विवाह :– इस प्रकार के विवाह में दामाद को गोद लिया जाता है और उससे ही पुत्री का विवाह करवा दिया जाता है। जापान में दास प्रथा है। परन्तु दास का वहाँ कोई हीन अर्थ नहीं है। परिवार के दूर के रिश्तेदार को दास बनाकर रख लिया जाता है और बाद में उसके साथ कन्या का विवाह करवा दिया जाता है।

इस प्रकार आदिम जनजातियों में विवाह साथी चुनने के अनेक तरीके प्रचलित है जो कि वहाँ की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर है। अधिकांशतः पर्यावरण व आर्थिक परिस्थितियाँ और यौन सुख कामना ही उन्हें विवाह बन्धन में बाँधती है।